

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड
लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश (देहरादून)

दिनांक— / / 2014

23-9-14 / 2014

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वनप्रभाग,
मसूरी।

विषय— जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर में राजीवगोंधी अन्तराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.92 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

विषय— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्रांक 568/1जी-5025 दिनांक 03.09.2014

संदर्भ,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी कार्यालय लोक निर्माण पर आपत्तियाँ लगाई गयी थीं उक्त आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है।

बिन्दु सं०— 1. व 47. की आपत्ति का निराकरण पृष्ठ सं० 53-54 पर अंकित कर दिया गया है।

बिन्दु सं०— 2. की आपत्ति का निराकरण पृष्ठ सं० 2 पर अंकित कर दिया गया है।

बिन्दु सं०— 4 व 5. की आपत्ति का निराकरण पृष्ठ सं० 3 पर अंकित कर दिया गया है।

बिन्दु सं०— 10. की आपत्ति का निराकरण पृष्ठ सं० 15 पर अंकित कर दिया गया है। तथा क्षेत्र में विद्यमान रोड़ नेटवर्क को मानचित्र में दर्शा दिया गया है।

बिन्दु सं०— 11. की आपत्ति का निराकरण पृष्ठ सं० 16A पर अंकित कर दिया गया है।

बिन्दु सं०— 17. की आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाना है।

बिन्दु सं०— 24. की आपत्ति का निराकरण पृष्ठ सं० 28 पर अंकित कर दिया गया है।

बिन्दु सं०— 26. की आपत्ति का निराकरण पृष्ठ सं० 29 पर अंकित कर दिया गया है।

बिन्दु सं०— 29. की आपत्ति का निराकरण पृष्ठ सं० 32A पर अंकित कर दिया गया है।

बिन्दु सं०— 35. की आपत्ति का निराकरण पृष्ठ सं० 14 पर अंकित कर दिया गया है तथा लभान्वित होने वाले ग्राम सौडा सरौली व रायपुर मानचित्र में दर्शा दिया गया है।

बिन्दु सं०— 37. की आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाना है।

बिन्दु सं०— 39. की आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाना है।

बिन्दु सं०— 43. की आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाना है।

बिन्दु सं०— 49. की आपत्ति का निराकरण पृष्ठ सं० 49 पर अंकित कर दिया गया है।

प्रस्ताव में संलग्न मानचित्र के अनुसार मार्ग थानो रायपुर मोटर मार्ग से प्रारम्भ होकर राजीवगाँधी अन्तराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मिलकर समाप्त होता है। क्रिकेट स्टेडियम नाप भूमि में निर्मित है।

अतः आपसे अनुरोध है, कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को अग्रसारित करने की कृपा करें, ताकि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उक्त मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

संलग्न:- प्रस्ताव तीन प्रतियों में।


अधिशायी अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

dc

पत्रांक- 125 / 23सी0
प्रतिलिपि-

दिनांक- 9 / 9 / 2014

1. जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता प्रथम/खण्डीय अमीन अस्थायी खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अधिशायी अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

dc

